भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 862

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष का संवर्धन

862. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में आयुष को विकसित और संवर्धन करने में सफल रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और विकास के लिए वर्ष-वार अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) विशेष रूप से महाराष्ट्र में वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) अप्रयुक्त रह गई धनराशि का प्रणाली-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधियों की अपर्याप्तता के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में आयुष को विकसित करने और बढ़ावा देने में सक्षम रही है। स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से, आयुष मंत्रालय आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिवसों के समारोह मनाता है, स्वास्थ्य फेयर/मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएँ, सम्मेलन आयोजित करने और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उनके राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

आयुष मंत्रालय आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना।

ii. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता विनिर्माण और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचनात्मक और तकनीकी उन्नयन और संस्थागत गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना।

iii. आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा जांच और निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को मजबूत करना।

iv. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग और सम्मिलित दृष्टिकोण बनाने को प्रोत्साहित करना।

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित निसर्ग ग्राम, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है, जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। मंत्रालय की स्वायत्त परिषद, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के तहत एक केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और पूर्ण अनुसंधान गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य में चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) नामतः महाराष्ट्र आरोग्य मंडल- पुणे, स्पंदन होलिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड होम्योपैथी-मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय-पुणे और टाटा मेमोरियल सेंटर-मुंबई को वित्त पोषित करके आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) से (घ) : आईईसी योजना और आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत पद्धति-वार और राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आवंटित बजट, वास्तविक व्यय और अप्रयुक्त धनराशि का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटन का प्रावधान है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ङ) : धनराशि की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****

संलग्नक-I

केंद्रीय क्षेत्रक योजना, आईईसी के बजट का विवरण

करोड़ रूपये में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त
2021-22	46.20	34.84	30.04	4.8
2022-23	43.88	55.40	51.60	3.80
2023-24	41.00	39.85	34.39	5.46
2024-25 (अनंतिम)	43.2	-	3.41	39.79

केंद्रीय क्षेत्रक योजना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के बजट का विवरण

करोड़ रुपये में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त
2021-22	4.10	10.00	2.94	7.06
2022-23	23.50	20.00	19.04	0.96
2023-24	20.00	12.26	11.59	0.67
2024-25 (अनंतिम1)	25.00	-	4.71	20.29

संलग्नक-II

एनएएम के अंतर्गत जारी केंद्रीय हिस्से के रूप में व्यय की गई और अप्रयुक्त धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरा

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी किया गया अनुदान				केन्द्रीय हिस्से के रूप में उपयोग किया गया अनुदान				केंद्रीय हिस्से की अप्रयुक्त शेष धनराशि			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	296.06	142.39	407.29	-	295.44	142.39	301.77	-	0.62	-	105.51	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	180.85	402.04	1186.04	-	180.85	391.39	840.33	-	-	10.65	345.71	-
4	असम	639.52	1011.77	3471.45	-	507.91	908.67	2041.01	-	131.61	103.10	1430.44	-
5	बिहार	1686.08	-	1161.06	-	1686.08		180.78	-	0.00	-	980.28	-
6	चंडीगढ़	94.86	189.74	226.32	-	89.27	152.07	148.68	-	5.60	37.66	77.64	-
7	छत्तीसगढ़	841.31	-	2151.43	-	697.18	-	1008.38	-	144.13	-	1143.05	-
8	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	-	-	408.45	-	-	-	54.02	-	-	-	354.43	-
9	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	गोवा	218.99	142.29	628.30	-	218.99	105.37	388.54	-	-	36.92	239.76	-
11	गुजरात	466.93	1908.62	2961.42	-	422.46	607.36	814.27	-	44.47	1301.27	2147.15	-
12	हरियाणा	647.70	1219.91	3026.59	-	610.23	1121.42	1806.22	-	37.47	98.49	1220.37	-
13	हिमाचल प्रदेश	1261.80	3873.58	3659.22	-	1175.34	3700.14	1871.62	-	86.46	173.44	1787.60	-
14	जम्मू-कश्मीर	1313.11	4895.09	7510.36	-	1245.61	4568.11	5022.86	-	67.50	326.97	2487.50	-
15	झारखंड	1309.77	7752.57	2390.42	-	1309.76	7752.57	1032.88	-	0.01	-	1357.54	-
16	कर्नाटक	1821.46	1714.09	5031.54	-	1776.49	1336.24	2596.21	-	44.97	377.85	2435.33	-
17	केरल	1153.39	4399.83	7989.40	-	1153.39	4122.16	5935.01	-	-	277.67	2054.39	-
18	लद्दाख	187.45	72.27	47.32	-	165.28	72.27	31.81	-	22.17	-	15.51	-
19	लक्षद्वीप	64.26	116.32	332.01	-	64.26	116.32	248.82	-	-	-	83.20	-
20	मध्य प्रदेश	3123.20	1716.00	6120.00	-	3115.06	1647.04	4732.47	-	8.14	68.96	1387.53	-
21	**महाराष्ट्र**	**-**	**-**	**2235.54**	**-**	**-**	**-**	**1011.02**	**-**	**-**	**-**	**1224.52**	**-**
22	मणिपुर	170.04	1723.00	-	-	126.41	1201.22	-	-	43.63	521.78	-	-
23	मिजोरम	259.08	117.27	1057.86	-	259.08	117.27	824.35	-	-	-	233.51	-
24	मेघालय	609.78	796.84	1722.60	-	609.78	787.25	1106.72	-	-	9.59	615.88	-
25	नागालैंड	232.27	495.78	1016.97	-	232.27	495.78	783.34	-	-	-	233.63	-
26	ओडिशा	1075.38	-	-	-	1060.52	-	-	-	14.86	-	-	-

27	पुडुचेरी	200.27	623.95	197.08	-	197.68	610.77	68.17	-	2.60	13.19	128.92	-
28	पंजाब	527.28	-	109.85	-	527.28	-	-	-	-	-	109.85	-
29	राजस्थान	3189.00	-	3731.51	-	2710.07	-	2251.17	-	478.93	-	1480.35	-
30	सिक्किम	99.30	626.06	492.37	-	99.30	626.06	466.60	-	-	-	25.77	-
31	तमिलनाडु	2348.27	2428.69	6635.76	-	2147.03	1879.99	4330.35	-	201.24	548.70	2305.41	-
32	तेलंगाना	3132.25	-	1225.17	-	3044.95	-	852.40	-	87.30	-	372.77	-
33	त्रिपुरा	138.71	1030.90	566.99	-	127.32	994.45	240.34	-	11.39	36.45	326.65	-
34	उत्तर प्रदेश	13809.72	14437.60	12418.60	-	13599.96	13614.82	6367.02	-	209.76	822.78	6051.57	-
35	उत्तराखंड	2622.50	1855.80	3234.38	-	2614.00	1850.82	2395.90	-	8.50	4.98	838.48	-
36	पश्चिमी बंगाल	2118.05	1056.58	3379.39	-	2115.63	864.02	1767.89	-	2.41	192.56	1611.49	-
	कुल	**45838.63**	**54748.94**	**86732.67**	**-**	**44184.87**	**49785.95**	**51520.91**	**-**	**1653.76**	**4962.99**	**35211.76**	**-**